निर्णय द इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. मारती सिंह पत्नी श्री विजय सिंह पुत्री राजेन्द्र कुमारी जाति राजपूत, निवासी फूट मण्डी, जोहरी बाजार, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाश जी गौतम तहसीलदार दूदू जिला जयपुर ।
2. श्रीमती यागनी सिंह तथाकथित पुत्री महिपाल सिंह नाबालिग जरिये तथाकथित संतोष कंवर पत्नी शूरवीर सिंह जाति राजपूत निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती शर्मिष्ठा पत्नी जयकीरत सिंह जाति राजपूत निवासी खेडा हाउस, 89, गंगवाल पार्क, जयपुर ।
4. श्रीमती पूनम पत्नी धनन्जय प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी 502, एलिट स्टेट सैक्टर–18, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 54 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत प्रकरण महिपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी दूदू के स्वर्गवास होने पर विरासत के नामान्तरकरण के संबंध में विचाराधीन धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री धीरज गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.04.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार दूदू के समक्ष महिपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी दूदू के स्वर्गवास होंने पर विरासत के नामान्तरकरण के संबंध में धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज गुप्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष वसीयत के आधार पर महिपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह द्वारा विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2022 को पेश किया । एक प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से अप्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 के समक्ष दिनांक 06.07.2022 को पेश किया गया । दोनों प्रार्थना पत्र 13/2022 व 16/2022 एक ही नेचर के होने से दोनों को अप्रार्थी संख्या 1 ने (कलब) एक साथ किये जाने की आज्ञा दिनांक 21.07.2022 को प्रसारित कर दी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दूदू के समक्ष दिनांक 21.07.2022 को प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात की नकलें दिलाने हेतु निवेदन किया, लेकिन कोई नकल नहीं दिलवाई गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 वसीयत पर महिपाल सिंह के हस्ताक्षर से इन्कार किया व वसीयत फर्जी व कूट रचित होना वसीयत के आधार पर अधिकारों व स्वत्व का निर्धारण नहीं हो सकता व गोद के संबंध में भी उत्तराधिकार का निर्णय नहीं हो सकता है। निर्धारण केवल नियमित वाद में ही हो सकता है, क्योंकि भूमि पैत्रृक है । प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रकरण में तहसीलदार दूदू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की अनुपस्थिति में वसीयत के गवाहान के बयान ले लिए एवं अन्य गवाहान के शपथ पत्र ले लिए एवं वसीयत जो कि फर्जी व कूट रचित है, के विरूद्व न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट कम 4 में परिवाद प्रस्तुत करके पुलिस थाना सदर जयपुर में एफ आई आर नम्बर 430/2022 दिनांक 13.10.2022 को शूरवीर सिंह, योगेन्द्र सिंह अप्रार्थी नम्बर 2 मुबारक, रोकी, रामपाल, परमेश्वर के विरूद्व दर्ज करवाई, जो जैरकार है । ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 57 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व आदेश 16 नियम 2 सपठित धारा 151 सी पी सी में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र पर वरवक्त बहस उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरा रिटायरमेन्ट नजदीक है व मेरे उपर काफी राजनैतिक दबाव भी है । ऐसी स्थिति में आपको कोई रिलीफ नहीं दूंगा व प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 सभी कानून व नियमो की अनदेखी करते हुए अपने नान स्पीकिंग आदेश से निरस्त कर दिया । प्रार्थिया के तहसीलदार दूदू श्री कैलाश जी गौतम के व्यवहार से एवं इनके द्वारा रिलीफ न देने की बात करने से एवं सभी कानून व नियमों की अनदेखी करते हुए दिनांक 14.12.2022 को प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने से प्रार्थिया को उनसे कोई न्याय की आशा नहीं है। तहसीलदार दूदू द्वारा उन पर काफी दबाव होने एवं महिपाल जी के स्वर्गवास पर अप्रार्थी संख्या 2 जो कि नाबालिग है, उसके तथाकथित संरक्षक द्वारा भूमि, गढ आदि जो करोडों की सम्पत्ति है, अपने नाम नामान्तरकरण करवा कर विकय/हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति होगी । ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण को जयपुर जिले में कही भी ट्रान्सफर किया जाना आवश्यकीय है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि श्री महीपाल सिंह के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी, परन्तु श्री महीपाल सिंह ना औलाद फौत नहीं हुये अर्थात श्री महीपाल सिंह की निः सन्तान मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि श्री महीपाल सिंह ने अपने व अपनी पत्नी श्रीमती महेन्द्र कुमारी के जीवन काल में व श्रीमती महेन्द्र कुमारी की सहमति से यागिनी सिंह जायन्दा पुत्री श्री शूर वीर सिंह एव श्रीमती सांतोष कंवर को गोद/दत्तक ग्रहण कर लिया था। चूंकि यागिनी सिंह के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यागिनी सिंह को श्री महीपाल सिंह ने गोद /दत्तक ग्रहण कर लिया था। इसलिए तभी से यागिनी सिंह श्री महीपाल सिंह व श्रीमती महेन्द्र कुमारी की पुत्री हो गई और यागिनी सिंह की सम्पूर्ण देखभाल लालन पालन, शिक्षा आदि श्री महीपाल सिंह ने की । इस प्रकार श्री महीपाल सिंह ना औलाद नहीं थे और उनकी मृत्यु

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के पश्चात उनकी विधिक वारिस एवं सम्पत्तियों की उत्तराधिकारी एक मात्र यागिनी सिंह है। क्यों कि श्री महीपाल सिंह की मृत्यु से पूर्व ही श्रीमती महेन्द्र कुमारी की मृत्यू हो चुकी थी। प्रार्थी व उसके परिवार जन की नियत में खोट है तथा यागिनी सिंह की बाल्यावस्था का नाजायज फायदा उठा कर येन केन प्रकारेण यागिनी सिंह पर असम्यक असर एवं दबाव बना कर प्रताडित कर श्री महीपाल सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के अधिकारों से यागिनी सिंह को वंचित कर बेदखल करना चाहते है। श्री महीपाल सिंह की मृत्यु के दिन दिनांक 09.06.2022 की रात्रि को भी परिवादी व अन्य ने यागिनी सिंह के साथ मारपीट व गाली गालौच की, दूसरे दिन दिनांक 10.06.2022 को भी परिवादी व अन्य ने यागिनी सिंह के साथ मारपीट की व धमकी दी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2022 दिनांक 11.06.2022 को यागिनी सिंह ने पुलिस थाना दूदू जयपुर ग्रामीण में दर्ज करावाई, जिसमें अनुसंधान चल रहा है। यागिनी सिंह ने श्री महीपाल सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा व माता श्रीमती महेन्द्र कुमारी द्वारा छोडी गई कृषि भूमियों का नामान्तरकरण अपने नाम किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 13/2022 सरकार बनाम यागिनी सिंह दर्ज हुआ जिसको विलम्ब करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अन्य ने भी प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 16/2022 सरकार बनाम शर्मिष्ठा दर्ज हुआ और दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण होने को आया तो केवल प्रकरण को देरीना/विलम्ब करने के उद्देश्य से यह मिथ्या मुन्तकित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो व्यर्थ है। फलस्वरूप भारी हर्जे के साथ खारिज किये जाने योग्य है । वास्तविक तथ्य यह है कि गुणावगुण पर प्रार्थी का प्रकरण बहुत कमजोर एवं निर्थक है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का प्रकरण गुणावगुण पर बजबूत, सही व सत्य है। इसलिए प्रार्थी एवं इसकी बहिनें भारती सिंह व पूनम सिंह प्रकरण को येन केन प्रकारेण विलम्ब करना चाहते है । प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है। इसलिए ही प्रार्थी भारती सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रमेश चन्द्र माहेश्वरी के खिलाफ भी मिथ्या, मनगढन्त एवं झूंठे आरोप लगा कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 एवं 173/21022 प्रस्तुत किये थे। पीठासीन अधिकारी की पदौन्नति होकर अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण दोनों ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य होकर कर दिनांक 13.10.2022 को निस्तारित हो गये। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ की और दिनांक 07.12.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर पत्रावली वास्ते आदेश तारीख पेशी दिनांक 14.12.2022 नियत की गई, जिससे पहले ही दिनांक 11.12.2022 को मिथ्या तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली की आदेशिकाओं से परे तथ्य अंकित करते हुये हुये मिथ्या मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है । इसके पश्चात मुन्तकिल प्रार्थना पत्र हाजा में वर्णित तथ्यों एवं कथनों के समान तथ्यों एवं अभिवचनों पर आधारित दो अन्य मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 293/2022 एवं 292/2022 दोनो ही उनवानी शर्मिष्ठा सिंह बनाम तहसीलदार दूदू व अन्य प्रार्थी की बहिन शर्मिष्ठा सिंह ने प्रस्तुत किये जो भी विस्तृत आदेश से गुणावगुण पर खारिज फरमा दिये गये। इसी दौरान वह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र समान आधारों पर फिर से प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के विरूद्व शिकायत कर उन पर आरोप प्रत्यारोप कर बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

जिला कलक्टर
जयपुर

जाना विधि एवं प्रकिया का गम्भीर दुरूपयोग एवं मजाक मखौल है । इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. तहसीलदार दूदू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रमेश चन्द माहेश्वरी तहसीलदार दूदू के विरूद्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 171 /2022 व उनवानी भारती सिंह बनाम तहसीलदार दूदू पेश किया गया था जो पीठासीन अधिकारी की पदौन्नति होकर अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से दिनांक 13.10.2022 को प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया। इस मामले में अन्य पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 दिनांक 13.10.2022, प्रार्थना पत्र संख्या 292/2022 व प्रार्थना पत्र. संख्या 293/2022 दिनांक 16.01.2023 को खारिज हो गये है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली आदेश में नियत होने के बाद यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा को दर्शाता है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि तहसीलदार दूदू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति इस्व कायदा तहसीलदार दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर